

राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की दिनांक 25 जुलाई, 2024 को आयोजित 39वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 39वीं बैठक (चरण-I) श्री अतुल तिवारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 25 जून, 2024 को आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I में है। समिति द्वारा कार्यसूची मदों के संदर्भ में बैठक में लिए गए निर्णय आगामी पैरा में दिए गए हैं।

1. कार्यसूची मद 01: दिनांक 30 मई, 2024 को आयोजित एनएसक्यूसी की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

1.1 समिति को यह अवगत कराया गया कि एनएसक्यूसी की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त परिचालित कर दिए गए थे और कोई भी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

1.1.1 समिति को यह भी अवगत कराया गया कि एनएसक्यूसी की 37वीं बैठक के संबंध में आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आट्रेक) से एक टिप्पणी प्राप्त हुई थी, जहाँ पर 'विभिन्न रक्षा अवार्डिंग निकायों की विगत अनुमोदित अर्हताओं के नामकरण में संशोधनों/परिवर्तनों की सूची' के अंतर्गत रिमाउंट वेटरनरी साइंसेज की एक अर्हता नामतः "लाइवस्टॉक हेल्थ सुपरवाइजर" के लिए एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदन की तारीख गलती से दिनांक 31 जनवरी, 2024 की एनएसक्यूसी की 35वीं बैठक के रूप में उल्लेख किया गया था। इस अर्हता के लिए एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदन की सही तारीख दिनांक 29 सितम्बर, 2023 की एनएसक्यूसी की 32वीं बैठक है।

1.1.2 समिति ने उपरोक्त सुधार के साथ एनएसक्यूसी की 37वीं और 38वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. कार्यसूची मद 02: एनएसक्यूसी की 38वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

2.1 एनएसक्यूसी की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त में समिति के समक्ष की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था। समिति ने की गई कार्रवाई को स्वीकार किया और उसे अनुमोदित किया तथा आगे निम्नलिखित पर बल दिया:

2.1.1 वीईटीएस में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशतता के पुनः मूल्यांकन और निर्धारण की एक प्रणाली की शुरुआत

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-I) का कार्यवृत्त

2.1.1.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत के निर्धारण के साथ-साथ वीडियो में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए पुनः मूल्यांकन करने की एक प्रणाली शुरू की जा रही है और सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.1.1.2 समिति ने स्थिति को नोट किया।

2.1.2 पीएमकेवीवाई 4.0 अर्हताओं के लिए प्रशिक्षार्थी की और प्रशिक्षक की हैंडबुक की अनुपलब्धता

2.1.2.1 एनएसक्यूसी की 38वीं बैठक में, समिति ने सभी एबी (एसएससी) को निर्देश दिया था कि वे सभी पीएमकेवीवाई 4.0 अर्हताओं के लिए प्रशिक्षार्थी की हैंडबुक और प्रशिक्षक की हैंडबुक पीएमकेवीवाई अर्हताओं के कार्यान्वयन के लिए 9 जून, 2024 तक यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

2.1.2.2 समिति को एबी (एसएससी) द्वारा प्रशिक्षार्थी की और प्रशिक्षक की हैंडबुक प्रस्तुत करने के संबंध में समिति के बारे में अवगत कराया गया था। समिति को यह अवगत कराया गया था कि निम्नलिखित को छोड़कर सभी एबी (एसएससी) ने पीएमकेवीवाई 4.0 अर्हताओं के लिए प्रशिक्षार्थी की और प्रशिक्षक की हैंडबुक प्रस्तुत की थी।

1	इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन एसएससी	3.	रबड़, रसायन और पेट्रोरसायन कौशल विकास परिषद्
2	जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया		

2.1.1.1 समिति ने स्थिति को नोट किया और तीन (03) एबी (एसएससी) को अगली एनएसक्यूसी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

2.1.1.2 समिति ने यह भी निदेश दिया कि एबी (एसएससी) से प्राप्त सभी हैंडबुक की विस्तृत सूची तैयार की जाए और रिकॉर्ड रखने के प्रयोजन के लिए फाइल पर अनुमोदित कराएं।

3. कार्यसूची मद 03: 95 क्राफ्ट्समेन प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) अर्हताओं के संबंध में एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर के यौक्तिकरण/संरेखण के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) का प्रस्ताव
- 3.1 दिनांक 24 फरवरी, 2022 को आयोजित 16वीं एनएसक्यूसी बैठक के दौरान, समिति ने सीटीएस और सीआईटीएस अर्हताओं के पुनर्गठन और यौक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) को “सैद्धान्तिक” अनुमोदन प्रदान किया। निर्देशों में सभी सीटीएस/सीआईटीएस अर्हताओं को 1600 घंटे से संशोधित करके 1200 घंटे किया जाना है, जिनमें भाषा विषयों सहित अल्पावधिक पाठ्यक्रमों में 240 घंटे तक के अतिरिक्त प्रशिक्षण के विकल्प के साथ ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) अथवा समूह परियोजनाओं के अनिवार्य 150 घंटे शामिल हैं। बाद में डीजीटी ने अपनी 150 सीटीएस अर्हताओं को पुनर्गठित किया और उन्हें एनसीवीईटी को प्रस्तुत किया, जिसमें 16वीं एनएसक्यूसी बैठक में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की लिखित प्रतिबद्धता की। ये अर्हताएं “फाइल पर” अनुमोदित की गई थी और 25 अगस्त, 2022 को आयोजित 22वीं एनएसक्यूसी बैठक में उसकी पुष्टि की गई।
- 3.2 समिति को यह अवगत कराया गया कि वीईटीएस व्यवस्था में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनएसआरएफ) के अपनाने और संशोधित एनएसक्यूएफ की अधिसूचना के अनुसरण में, इन सीटीएस अर्हताओं की समीक्षा की गई थी। यह पाया गया था कि इनमें से 95 अर्हताओं के लिए एनएसक्यूएफ स्तरों को एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ में निर्धारित स्तरों के अनुसार संरेखित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, डीजीटी से एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ दिशानिर्देशों के अनुसार इन अर्हताओं की समाक्षा करने और इन्हें अद्यतन करने तथा एनएसक्यूएफ द्वारा अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी को उन्हें पुनः प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
- 3.3 समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि तदनुसार डीजीटी से एक प्रस्ताव यह उल्लेख करते हुए प्राप्त हुआ है कि 95 सीटीएस अर्हताओं के स्तरों को युक्तिसंगत किया जाना और एनसीआरएफ तथा एनएसक्यूएफ के अनुसार संरेखित किया जाना आवश्यक है। डीजीटी ने संशोधित स्तरों के लिए एनसीवीईटी से अनुमोदन का अनुरोध किया है क्योंकि सभी सीटीएस अर्हताएं अगस्त, 2025 तक वैध हैं। इसके अलावा, डीजीटी की योजना संशोधित पाठ्यक्रम और अर्हता फाइलों को नए फार्मेट में प्रस्तुत करने, इस संशोधन प्रक्रिया के दौरान अद्यतन एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तरों का पालन करने की है। इसके अलावा, डीजीटी ने सभी 150 सीटीएस अर्हताओं के संशोधन के लिए एक अनंतिम योजना भी प्रस्तुत की है। इस योजना के अनुसार, अद्यतन अर्हताएं सितम्बर, 2024 से एक चरणबद्ध तरीके में प्रस्तुत की जाएगी।

3.4 समिति ने स्थिति को नोट किया और कार्यसूची अनुमोदित किया।

4. एडेंजा मद 04: क्राफ्ट अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हताओं के लिए छूट चाहने के संबंध में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) का प्रस्ताव

4.1 दिनांक 24.02.2022 को आयोजित 16वीं एनएसक्यूसी बैठक के दौरान, डीजीटी द्वारा प्रस्तावित सीआईटीएस और सीटीएस पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन और यौक्तिकरण के लिए “सैद्धान्तिक” अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदुपरांत, डीजीटी ने व्यापार सिद्धान्त, व्यावहारात्मक (डब्ल्यूसीएस और ईडी के साथ इंजीनियरिंग ट्रेड, गैर इंजीनियरी ट्रेड के लिए सॉफ्ट कौशलों के साथ), प्रशिक्षण प्रविधि और एक 150 घंटे की ओजेटी/ग्रुप परियोजना सहित अवधि को 1600 घंटे से घटाकर 1200 घंटे करते हुए सभी सीआईटीएस पाठ्यक्रमों को संशोधित किया। भाषा विषयों सहित अल्पावधिक पाठ्यक्रमों पर 240 घंटे तक के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए एक विकल्प उपलब्ध है। एनएसक्यूसी ने दिनांक 31 अगस्त, 2023 को हुई 31वीं बैठक में 55 सीआईटीएस पाठ्यक्रमों के लिए एनएसक्यूएफ स्तर को स्तर-5 पर निर्धारित किया गया है जिसमें प्रवेश मानदंड के तहत उपयुक्त अनुभव के रूप में एक 2 वर्ष के सीटीएस के बाद एक वर्ष अथवा 1 वर्ष के सीटीएस के बाद 2 वर्षों का अनुभव अपेक्षित है।

4.2 समिति को यह सूचित किया गया था कि विस्तृत चर्चा के बाद, सीटीएस पाठ्यक्रमों के लिए एनएसक्यूएफ स्तरों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि प्रवेश मानदंड से एक/दो वर्ष के अनुभव की अपेक्षा को समाप्त किया जाए और इसके बजाय, सीटीएस पाठ्यक्रमों की प्रवेश अर्हताओं (8वीं + सीटीएस, 10वीं + 1 वर्ष सीटीएस अथवा 10वीं + 2 वर्ष सीटीएस) के आधार पर सीआईटीएस आकांक्षियों के समक्ष आ रही समस्या पर विचार करते हुए सीआईटीएस के एनएसक्यूएफ स्तर को तीन विभिन्न एनएसक्यूएफ स्तरों-3.5, 4 और 4.5 पर किया जाए। तदनुसार, डीजीटी ने संशोधित एनएसक्यूएफ स्तरों के साथ एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	सीटीएस में प्रवेश	सीटीएस पाठ्यक्रम की अवधि	सीटीएस एनएसक्यूएफ स्तर	सीआईटीएस प्रवेश के लिए अतिरिक्त अनिवार्य मानदंड	सीआईटीएस पाठ्यक्रम की अवधि	सीआईटीएस के बाद एनएसक्यूएफ स्तर
1	8वीं उत्तीर्ण	1 वर्ष	2.5	कक्षा 10 (एनएसक्यूएफ - 3)	1 वर्ष (1200 + 240 + 150 घंटे)	3.5
2	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	3			

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-1) का कार्यवृत्त

3	10वीं उत्तीर्ण	1 वर्ष	3.5			4
4	10वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	4			4.5

4.3 समिति को यह अवगत कराया गया था कि प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) से संशोधित प्रस्ताव एनएसक्यूएफ/एनसीआरएफ मानकों के अनुसार है और कम प्रवेश तथा सीआईटीएस पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों की कठिनाइयों की समस्या का समाधान करने का लक्ष्य है। एनसीवीईटी के अध्यक्ष ने इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया था कि डीजीटी सितम्बर, 2024 से शुरू आगामी सत्र में कार्यान्वयन के लिए सीआईटीएस पाठ्यक्रमों को संशोधित करने को प्राथमिकता दे। इसके अतिरिक्त, डीजीटी को एनसीआरएफ प्रावधानों के अनुसार निम्नतर से उच्चतर सीआईटीएस स्तरों तक बढ़ने के लिए अभ्यर्थियों के लिए विकासपरक प्रगति पथ का कार्य प्रदान किया गया है।

4.4 *समिति ने स्थिति को नोट किया और कार्यसूची की पुष्टि की। समिति ने यह भी जोर दिया कि डीजीटी को सितम्बर, 2024 में शुरू आगामी सत्र से पूर्व कार्यान्वयन के लिए सीआईटीएस पाठ्यक्रमों का संशोधन पूरा करना चाहिए।*

5. कार्यसूची मद 05: उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (यूपीएससीवीटी) की एक (01) अर्हता की पुष्टि

5.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (यूपीएससीवीटी) ने एक अवार्डिंग निकाय के रूप में (एबी - दोहरापन) एनसीवीईटी द्वारा अनंतिम मान्यता प्रदान की थी। तदोपरांत यूपीएससीवीटी ने एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए 600 कुल नोशनल घंटों के साथ एनएसक्यूएफ स्तर-3 पर “चिकनकारी और जरदोसी कारीगर” नामक एक (01) अर्हता प्रस्तुत की थी। अर्हता को निर्धारित मानदंड और दिनांक 04.07.2024 की फाइल सं. 36003/19/2024/एनसीवीईटी के तहत फाइल पर यूपीएससीवीटी के साथ एबी के करार पर हस्ताक्षर की अपेक्षा के कारण तत्काल आधार पर अनुमोदन के अनुसार समीक्षा की गई थी।

5.2 *समिति ने नोट किया और अर्हता की पुष्टि की।*

6. कार्यसूची मद 06: प्रशिक्षण महानिदेशालय की 01 (एक) एनओएस और 01 (एक) माइक्रो क्रेडेंशियल की पुष्टि

- 6.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि भारत सरकार ने 1 करोड़ रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना करके विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर रूफटॉप क्षमता को बढ़ावा देने और परिवारों को सशक्त बनाने के लिए 29 फरवरी, 2024 को पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। डीजीटी को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा कार्यान्वित घटकों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीजीटी एनएसटीआई (डब्ल्यू)/ एनएसटीआई/ आईटीआई में ओजेटी के 15 घंटों सहित एक 60 घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से “रूफटॉप सौर पीवी (स्थापना और रखरखाव)” में 1 लाख प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करेगी।
- 6.2 समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श से डीजीटी ने प्रशिक्षार्थियों के लिए 60 नोशनल घंटों के साथ एनएसक्यूएफ स्तर 3 पर “रूफटॉप सौर पीवी (स्थापना और रखरखाव)” नामक एक एनओएस और प्रशिक्षार्थियों के लिए 15 नोशनल घंटों के साथ एनएसक्यूएफ स्तर 4 पर “रूफटॉप सौर पीवी (स्थापना और रखरखाव) - प्रशिक्षक” नामक एक माइक्रो क्रेडेंशियल विकसित किया है। तदोपरांत, डीजीटी ने योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इन एनओएस/माइक्रो - क्रेडेंशियल के लिए एनसीवीईटी से तत्काल अनुमोदन का अनुरोध किया था। प्रशिक्षण शुरू करने की तात्कालिकता को देखते हुए, एक (01) एनओएस और एक (01) माइक्रो क्रेडेंशियल की एनएसक्यूएफ मानकों के अनुसार समीक्षा की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.06.2024 की फाइल सं. 36001/84/2022/एनसीवीईटी के तहत “फाइल पर” अनुमोदित की गई।
- 6.3 **समिति ने नोट किया और दोनों अर्हताओं की पुष्टि की।**
7. **कार्यसूची मद 07: राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईई एसबीयूडी) से प्राप्त एक (01) अर्हता की पुष्टि**
- 7.1 समिति ने यह अवगत कराया कि एनआईईएसबीयूडी ने एक अवार्डिंग निकाय (दोहरा) के रूप में अनंतिम मान्यता प्रदान की थी और एक (01) अर्हता नामतः ‘**आर्गेनिक खेती माइक्रो उद्यमी**’ अनुमोदन के लिए 240 नोशनल घंटों के साथ एनएसक्यूएफ स्तर 2 पर प्रस्तुत की थी। तदोपरांत, एनसीवीईटी को भी संयुक्त सचिव, एमएसडीई से अर्हता की पुष्टि करते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ था।
- 7.2 समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि एनएसक्यूएफ मानकों के अनुसार, अर्हता की जाँच के बाद, अर्हता को फाइल सं. 36003/04/2024 के तहत दिनांक

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-I) का कार्यवृत्त 10.06.2024 को एबी करार पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा के कारण तत्काल आधार पर “फाइल पर” अनुमोदन प्रदान किया गया।

7.3 समिति ने नोट किया और कार्यसूची की पुष्टि की।

8. कार्यसूची मद 08: स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र कौशल परिषद् (एचएसएससी) द्वारा एक माइक्रो क्रेडेंशियल को अपनाने की पुष्टि

8.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र कौशल परिषद् (एचएसएससी) ने ग्रीन जॉब के लिए कौशल परिषद् (एससीजीजे) द्वारा विकसित की गई 30 नोशनल घंटे के साथ एनएसक्यूएफ स्तर 4.5 पर “जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन - नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टॉफ” नामक माइक्रो क्रेडेंशियल को अपनाने का एक अनुरोध प्रस्तुत किया था। एचएसएससी को दिनांक 14 मई, 2024 को फाइल सं. 27003/09/2017/एनएसडीए - पार्ट के तहत माइक्रो क्रेडेंशियल के लिए अवार्डिंग अधिकार प्रदान किए गए थे।

8.2 समिति ने नोट किया और कार्यसूची की पुष्टि की।

9. कार्यसूची मद 09: अवसंरचना उपस्कर कौशल परिषद् (आईईएससी) द्वारा एक (01) अर्हता को अपनाने की पुष्टि

9.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि अवसंरचना उपस्कर कौशल परिषद् (आईईएससी) ने खनन क्षेत्र कौशल परिषद् (एससीएमएस) द्वारा विकसित 420 नोशनल घंटे के साथ एनएसक्यूएफ स्तर 3 पर “ग्रेडर मशीन ऑपरेटर” नामक एक अर्हता फाइल स्वीकार करने का अनुरोध प्रस्तुत किया है। तदोपरांत, आईईएससी को एक “फाइल पर अनुमोदन” प्रक्रिया (फाइल सं. 21001/2/2017/एनएसडीए, दिनांक 11 मई, 2024) के माध्यम से अर्हता के लिए अवार्डिंग अधिकार प्रदान किए गए हैं।

9.2 समिति ने नोट किया और अर्हता की पुष्टि की।

10. कार्यसूची मद 10: दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी से प्राप्त एक (01) अर्हता की पुष्टि

10.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि डीएमआरए को एक अवार्डिंग निकाय (दोहरा) के रूप में अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी और अनुमोदन के लिए 360 नोशनल घंटे के साथ एनएसक्यूएफ स्तर 4 पर “ग्राहक संबंध सहायक (मेट्रो रेल)” नामक एक (01) अर्हता प्रस्तुत की थी। तदोपरांत, एनएसक्यूएफ मानकों के अनुसार, अर्हता की जाँच के बाद अर्हता को करार पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा के कारण

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-1) का कार्यवृत्त तत्काल आधार पर फाइल सं. 36003/08/2024 - एनसीवीईटी के तहत “फाइल पर” अनुमोदन प्रदान किया गया था।

10.2 समिति ने नोट किया और अर्हता की पुष्टि की।

11. कार्यसूची मद 11: डिजिटल वाणिज्य के लिए मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी) से प्राप्त एक (01) माइक्रो क्रेडेंशियल (रिटेल सेक्टर) की अभिपुष्टि

11.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि डिजिटल कामर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) को एक अवार्डिंग निकाय (दोहरा) के रूप में अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी और ओएनडीसी ने अनुमोदन के लिए 7.5 नोशनल घंटों के साथ एनएसक्यूएफ स्तर 2.5 पर “ओपन नेटवर्क के लिए डिजिटल कॉमर्स की बुनियादी जानकारी” नामक 1 माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) प्रस्तुत किया गया था। ओएनडीसी ने एमसी का शीघ्र और तत्काल विकास करने के लिए माइक्रो क्रेडेंशियल का तत्काल अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यक्रम में पंजीकृत शिक्षार्थियों को उचित क्रेडिट प्रदान किए जा सकें।

11.2 समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि माइक्रो क्रेडेंशियल में पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए उचित क्रेडिट प्रदान करने की तात्कालिकता और एनसीवीईटी के साथ करार हस्ताक्षर करने की आवश्यकता को देखते हुए माइक्रो क्रेडेंशियल की एनएसक्यूएफ मानकों के अनुसार समीक्षा की गई थी और 15 जुलाई, 2024 को फाइल सं. 36003/23/2024/एनसीवीईटी के तहत ‘फाइल पर’ अनुमोदन प्रदान किया गया था।

11.3 समिति ने नोट किया और अर्हता की पुष्टि की।

12. कार्यसूची मद 12: जल प्रबंधन और नलसाजी कौशल परिषद् (डब्ल्यूएमपीएससी) की दो अर्हताओं की वैधता का विस्तार

12.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि डब्ल्यूएमपीएससी ने एनएसक्यूएफ स्तर 3 पर 360 नोशनल घंटों के साथ **प्लंबर जनरल (पीएससी/क्यूओ 104)** नामक अर्हता और 450 नोशनल घंटों के साथ एनएसक्यूएफ स्तर पर **सहायक प्लंबर जनरल (पीएससी/क्यूओ 102)** नामक अर्हता के लिए वैधता के विस्तार के लिए दिनांक 08.07.2024 को ई-मेल के द्वारा अनुरोध किया, क्योंकि इनकी वैधता 27 मई, 2024 को समाप्त हो गई थी। डब्ल्यूएमपीएससी द्वारा उनकी वैधता समाप्त होने से पूर्व संशोधन के लिए अर्हताओं को प्रस्तुत न करने के लिए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया था। तथापि, एनसीवीईटी ने यह पाया कि ये अर्हताएं

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-1) का कार्यवृत्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रशिक्षकों और राज्य की अगुवाई वाली पहलों जैसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम), हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एचपीकेवीएन), आन्ध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) और असम कौशल विकास मिशन (एसडीएम) सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। डब्ल्यूएमपीएससी के लिए इनकी वैधता बढ़ाना अनिवार्य है, ताकि इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना जारी रखा जा सके।

12.2 समिति को यह अवगत कराया गया था कि उपरोक्त पर विचार करते हुए, दोनों अर्हताओं की वैधता को उनकी समाप्ति की तारीख से छः माह की अतिरिक्त अवधि के लिए अर्थात् **27 नवम्बर, 2024** तक बढ़ाया जा सकता है। समय विस्तार होने से डब्ल्यूएमपीएससी को एनएसक्यूएफ अनुमोदन के लिए संशोधित अर्हताओं को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समय मिल जाएगा।

12.3 *समिति ने कार्यसूची अनुमोदित किया। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि अर्हता की वैधता के लिए आगे कोई विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात पर जोर दिया गया कि संशोधन लंबित रहते अर्हताओं पर कार्रवाई राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर उनकी समाप्ति की तारीख से पूर्व तत्काल की जानी चाहिए।*

12.4 *समिति ने यह भी सुझाव दिया कि वैधता समाप्त होने के करीब वाली अर्हताओं की पहचान करने के लिए और समुचित नवीकरण की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए जिसे सभी एबी द्वारा विकसित किया जाए और उसका अनुसरण किया जाए।*

13. **कार्यसूची मद 13: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कौशल परिषद् (एफआईसीएसआई) की एक (01) अर्हता की वैधता का विस्तार**

13.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि 300 नोशनल घंटों के साथ एनएसक्यूएफ स्तर 3 पर “जेम, जेली और केचअप प्रसंस्करण तकनीशियन” (एनक्यूआर कोड - 2022/एफआई/एफआईसीएसआई/06690) नामक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कौशल परिषद् (एफआईसीएसआई) से एक अर्हता 29 जुलाई, 2021 को 10वीं एनएसक्यूसी बैठक में अनुमोदित की गई थी, जिसकी वैधता अवधि 29 जुलाई, 2024 को समाप्त हो रही थी और संशोधन किया जाना था। एफआईसीएसआई ने यह सूचित किया कि वे इस अर्हता को इसमें वैकल्पिक को शामिल करने के लिए संशोधित करने और युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में हैं। तथापि, यह अर्हता पीएमकेवीवाई, पीएमकेयूवीए 2022, और

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-1) का कार्यवृत्त डीडीयूजीकेवाई कार्यक्रम में सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में अभी भी कार्यान्वित की जा रही थी। परिणामस्वरूप, एफआईसीएसआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तीन माह की विस्तार देने का अनुरोध किया कि मौजूदा प्रशिक्षण को जारी रखा जाए और वर्तमान बैचों (419) के लिए लंबित आकलनों के साथ-साथ विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों (2125) का ब्यौरा प्रदान करके आगे प्रमाणीकरण किया जा सके।

13.2 समिति को यह भी सूचित किया गया था कि किए गए अनुरोध और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए, उल्लिखित अर्हता को **29 अक्टूबर, 2024** तक एक बारगी वैधता विस्तार प्रदान किया गया था। यह परामर्श दिया गया था कि एबी यह सुनिश्चित करे कि कोई नया पंजीकरण न हो और यह कि यह विस्तार केवल आकलनों को पूरा करने के लिए और पहले से पंजीकृत बैचों के प्रमाणन के लिए है। अर्हता को 29 अक्टूबर, 2024 को समाप्त वैधता अवधि के बाद पुरालेख किया जाएगा।

13.3 *समिति ने स्थिति को नोट किया और यह निदेश दिया कि संशोधित अर्हता को शीघ्र प्रस्तुत किया जाए और वर्तमान बैच के लिए तीन माह का विस्तार प्रदान किया गया।*

13.4 *समिति ने यह भी निदेश दिया कि एबी/एसएससी अर्हता संरचना पर एक सतर्क नजर रखे और आवश्यक औचित्यपरक प्रक्रियाएं शुरू करें तथा उसके लिए आगे कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।*

14. **कार्यसूची मद 14: भारत कौशल प्रतिस्पर्धा 2024 के लिए प्रमाणीकरण तंत्र का अनुमोदन**

14.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि दिनांक 26.01.2024 के आदेश सं. 32001/06/2023/एनसीवीईटी के तहत भारत कौशल प्रतिस्पर्धा 2024 में प्रदर्शित कौशल को राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ पूर्णतया संरेखित किया गया था। भारत कौशल प्रतिस्पर्धा को अधिक आकांक्षी बनाया गया, जिसके लिए प्रतिभागियों को एनसीआरएफ के तहत एनएसक्यूएफ संरेखित प्रमाणपत्र और क्रेडिट अर्जित करने और उससे अपने शिक्षण परिणामों को क्रेडिटार्जित करने की अनुमति दी गई थी।

14.2 समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि भारत कौशल 2024 प्रतिस्पर्धा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर की गई, जिनमें विभिन्न अवस्थाओं में कौशल

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-1) का कार्यवृत्त प्रतिस्पर्धाओं का मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया था कि विभिन्न व्यवसायों में प्राप्त अंकों में काफी भिन्नता थी, जिनमें एनएसडीसी पोर्टल डेटाबेस से अनुसार, 0.54 से 99.67 के बीच स्कोर रहा। परिणामस्वरूप, विभिन्न हितधारकों ने अनुरोध किया कि एनसीवीईटी अभ्यर्थियों के लिए सफलतापूर्वक मूल्यांकन और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एक तंत्र का सुझाव दे।

- 14.3 समिति को यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 21 जून, 2024 को एनसीवीईटी, एनएसडीसी और अवार्डिंग निकायों के बीच प्रमाणपत्र और क्रेडिट जारी करने के तंत्र पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। एनएसडीसी ने यह नोट किया कि समय की समस्या के कारण, प्री-नेशनल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित नहीं की गईं और राज्य प्रतिस्पर्धाओं से अभ्यर्थियों ने सीधे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे प्रतिभागी, जिन्होंने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उच्च प्रतिस्पर्धा स्तरों का प्रदर्शन किया, उन्हें प्रमाणपत्र और उनके आकलनों के आधार पर क्रेडिट मिलेंगे। पिछले स्तरों पर आकलनों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाणपत्रों और क्रेडिट जारी करने के लिए आधार तैयार होगा। बैठक के दौरान सहमत प्रमाणपत्र और क्रेडिट आवंटन व्यवस्था नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	स्तर	मूल्यांकन	प्रमाणपत्र का प्रकार	प्रमाणपत्र में प्रकाशित क्रेडिट
1	जिला स्तर	स्क्रीनिंग के स्तर पर सफलतापूर्वक मूल्यांकन	जिला स्तरीय प्रमाणपत्र	2
2	राज्य स्तर	जिला स्तर पर सफलतापूर्वक मूल्यांकन	राज्य स्तरीय प्रमाणपत्र	5
3	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर पर सफलतापूर्वक मूल्यांकन	राष्ट्र स्तरीय प्रमाणपत्र	17

- 14.4 समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि एनएसडीसी द्वारा एसआईडीएच पोर्टल पर ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रावधान बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एनसीवीईटी द्वारा आगामी भारत कौशल प्रतिस्पर्धाओं के मूल्यांकन, प्रमाणपत्र और क्रेडिट प्रदान करने के लिए, एमएसडीई, एनएसडीई, अवार्डिंग निकायों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

- 14.5 समिति ने स्थिति को नोट किया और कार्यसूची अनुमोदित किया।

- 15. कार्यसूची मद 15: दिव्यांग जन कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी) की एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं के लिए रोजगार योग्य कौशल (ईएस) के नोशनल घंटों का लागू होना**
- 15.1** समिति को यह अवगत कराया गया था कि एनएसक्यूसी ने अपनी दिनांक 30 जून, 2022 को आयोजित 20वीं बैठक में रोजगार योग्य कौशल (ईएस) एनओएस अनुमोदित किए थे और इसके बाद सभी अवार्डिंग निकायों को सभी एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं में अनिवार्य घटक के रूप में ईएस को शामिल करने के लिए निदेश दिया।
- 15.2** विभिन्न एनएसक्यूएफ स्तरों के लिए ईएस एनओएस अपेक्षा को समायोजित करने के लिए, ईएस एनओएस के 4 प्रकार अर्थात् 30 घंटे, 60 घंटे, 90 घंटे और 120 घंटे विकसित किए गए हैं और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। तदनुसार, सभी मौजूदा एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं को एक उपयुक्त ईएस एनओएस शामिल करने के लिए युक्तिसंगत किया जा रहा है।
- 15.3** इसके अलावा, दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने पीडब्ल्यूडी के लिए विकसित सभी एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं में शामिल करने के लिए मौजूदा 60 घंटे के ईएस मॉड्यूल की बजाय एससीपीडब्ल्यूडी के साथ एक अनुकूलित 70 घंटे का ईएस मॉड्यूल तैयार किया है ताकि उनकी विशिष्ट व्याख्यात्मक आधारित अपेक्षा की पूर्ति हो सके और बेहतर आउटरीच व पहुंच हो सके। एनएसक्यूसी ने 30 अप्रैल, 2024 को हुई अपनी 37वीं बैठक में दिव्यांग जन कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रस्तुत उक्त ईएस एनओएस अथवा 70 घंटे रोजगार योग्य कौशल (ईएस) को अनुमोदित किया। समिति ने दिव्यांग जन (पीडब्ल्यू) क्षेत्र से संबंधित सभी एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं में इस एनओएस को शामिल करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया।
- 15.4** इस 70 घंटे के एनओएस को पिछली अर्हता में मौजूद ईएस एनओएस के साथ बदलने के परिणामस्वरूप अर्हता के कुल नोशनल घंटों में संशोधन होगा। संशोधित नोशनल घंटों के साथ सभी अर्हताओं का ब्यौरा अनुबंध-III में है। उपरोक्त के आधार पर, एससीपीडब्ल्यूडी को उनकी मौजूदा अर्हताओं में संस्करण में परिवर्तन किए बिना परिवर्तन करने और निदेशक स्तर पर अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी को उसे प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। यह 70 घंटे का ईएस मॉड्यूल 60 घंटे के मॉड्यूल अर्थात् 2 क्रेडिट की क्रेडिट समतुल्यता प्रदान करेगा क्योंकि अतिरिक्त घंटे केवल दिव्यांगजनों की विशिष्ट अपेक्षा की पूर्ति करते हैं।

15.5 समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि एक बार सत्यापन और अनुमोदन पूरा हो जाने पर अर्हताओं की सूची सूचना और सुधार के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

15.6 समिति ने स्थिति को नोट किया और कार्यसूची अनुमोदित किया।

16. कार्यसूची मद 16: भारतीय रक्षा बलों द्वारा एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं को अपनाना

16.1 समिति को यह अवगत कराया गया कि एनएसक्यूसी की 31वीं बैठक के दौरान, यह चर्चा की गई थी कि पर्याप्त संख्या में एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं आम हैं और लघु संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना रक्षा बलों पर लागू हैं। अतः रक्षा अवार्डिंग निकाय अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हताओं को अपनाने के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी अर्हताओं को अपना सकते हैं। तथापि, बेहतर समन्वयन के लिए, रिकॉर्ड रखने और प्रभावी निष्पादन व कार्यान्वयन के लिए, भारतीय सेना अवार्डिंग निकायों द्वारा सेना प्रशिक्षण कमान (आट्रेक) को भेजने के प्रस्ताव के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया था कि सभी ऐसी अर्हताओं की एक समेकित सूची आट्रेक द्वारा अपनाने के लिए प्रस्तावित की जाए।

16.2 समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि आट्रेक द्वारा विधिवत पुनरीक्षित एक समेकित सूची बाद में अनुमोदन प्रदान करने के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अर्हताओं के अंगीकरण दिशानिर्देशों में उल्लिखित मापदंडों की अनुपालना के अध्यक्षीन अंगीकृत अर्हताओं में यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो, तो किए जाएंगे। तदोपरांत, आट्रेक ने भारतीय सेना निदेशालय (अवार्डिंग निकाय) द्वारा अंगीकरण के लिए प्रस्तावित 22 अर्हताओं की एक सूची साझा की।

अर्हता का नाम	एनएसक्यूएफ स्तर	विकासकर्ता निकाय	अंगीकरण निकाय
प्रशासनिक अधिकारी	5.5	आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय	सेना वायु रक्षा महानिदेशालय
			बख्तरबंद कोर महानिदेशालय
			तोपखाना महानिदेशालय
			इंफैंट्री महानिदेशालय
			सिग्नल महानिदेशालय
			आयुध सेवा महानिदेशालय
			चिकित्सा सेवाएं महानिदेशालय
			इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर महानिदेशालय

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-1) का कार्यवृत्त

सहायक प्रशासनिक अधिकारी	5	तोपखाना महानिदेशालय	सेना वायु रक्षा महानिदेशालय
			बख्तरबंद कोर महानिदेशालय
			तोपखाना महानिदेशालय
			इंफैंट्री महानिदेशालय
			सिग्नल महानिदेशालय
			आयुध सेवा महानिदेशालय
			चिकित्सा सेवाएं महानिदेशालय
			इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर महानिदेशालय
सहायक प्रबंधक (खाद्य और पेय पदार्थ)	5.5	तोपखाना महानिदेशालय	सेना विमानन महानिदेशालय
उप प्रबंधक केबल लांचिंग और वायरिंग	5.5	सिग्नल कोर महानिदेशालय	तोपखाना महानिदेशालय
उप प्रबंधक डेटाबेस डिजाइन	5.5	सिग्नल कोर महानिदेशालय	तोपखाना महानिदेशालय
उप प्रबंधक आयोजक (संगीत)	5.5	सेना शिक्षा महानिदेशालय	तोपखाना महानिदेशालय
			सिग्नल महानिदेशालय
			चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
			मैकेनाइज्ड इंफैंट्री महानिदेशालय
उप प्रबंधक फेब्रिकेशन	5.5	इंजीनियर इन चीफ ब्रांच	इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर महानिदेशालय
उप प्रबंधक खाद्य एवं पेय पदार्थ	5.5	तोपखाना महानिदेशालय	आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय
उप प्रबंधक प्रबंधक-आयोजक (संगीत)	5.5	सेना शिक्षा महानिदेशालय	इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर महानिदेशालय
उप प्रबंधक पेंटिंग और डेकोरेटिंग	5.5	मुख्य शाखा में इंजीनियर	मैकेनाइज्ड इनफैंट्री महानिदेशालय
उप प्रबंधक सर्वेक्षण और पेंटिंग	5.5	सिग्नल कोर महानिदेशालय	तोपखाना महानिदेशालय
	5.5	सिग्नल कोर महानिदेशालय	तोपखाना महानिदेशालय
उप प्रबंधक वेयर	5.5	आयुध सेवा	सेना वायु रक्षा महानिदेशालय

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-1) का कार्यवृत्त

हाउस		महानिदेशालय	इंफैंट्री महानिदेशालय
			सिगनल महानिदेशालय
			चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
			यांत्रिक तोपखाना महानिदेशालय
			आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय
			इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर महानिदेशालय
			तोपखाना महानिदेशालय
उप प्रबंधक काष्ठ एवं बढ़ईगिरी	5.5	इंजीनियर इन चीफ ब्रांच	यांत्रिक इंफैंट्री महानिदेशालय
			सिगनल महानिदेशालय
उप प्रबंधक आयोजन (संगीत)	5.5	सेना शिक्षा महानिदेशालय	सेना वायु रक्षा महानिदेशालय
			आयुध सेवा महानिदेशालय
			आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय
अश्व सुपरवाइजर	5	आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय	बख्तरबंद कोर महानिदेशालय
अतिथि सेवा पर्यवेक्षक	5	तोपखाना महानिदेशालय	सेना विमानन महानिदेशालय
			आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय
संगीत कंपोजर और अरेंजर	5	सेना शिक्षा महानिदेशालय	यांत्रिक इंफैंट्री महानिदेशालय
			आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय
पर्यवेक्षक पेंटिंग एवं डेकोरेटिंग	5	इंजीनियर इन चीफ ब्रांच	इंफैंट्री महानिदेशालय
			यांत्रिक इंफैंट्री महानिदेशालय
पर्यवेक्षक काष्ठ एवं बढ़ईगीरी	5	इंजीनियर इन चीफ	इंफैंट्री महानिदेशालय
			यांत्रिक इंफैंट्री महानिदेशालय
पर्यवेक्षक सर्वे और पेंटिंग	5	सिगनल कोर महानिदेशालय	तोपखाना महानिदेशालय
वेयर हाउस प्रशासक	5	आयुध सेवा महानिदेशालय	सेना वायु रक्षा महानिदेशालय
वेयर हाउस प्रशासक	5	आयुध सेवा महानिदेशालय	इंफैंट्री महानिदेशालय
			इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर महानिदेशालय
			सिगनल महानिदेशालय
			चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
			यांत्रिक इंफैंट्री महानिदेशालय
			आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय
			तोपखाना महानिदेशालय

16.3 समिति ने नोट किया और कार्यसूची का अनुमोदन किया।

17. कार्यसूची मद 17: एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए अर्हताएं प्रस्तुत करना।

17.1 समिति को यह अवगत कराया गया कि कुल 200 अर्हताओं/एनओएस/एमसी (जिनमें 55 नई और 64 संशोधित अर्हताएं, 58 एनओएस और 23 एमसी शामिल) को एनएसक्यूसी के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

17.2 तदोपरांत, 80 अर्हताओं/एनओएस/एमसी (जिनमें 21 नई और 14 संशोधित अर्हताएं, 41 एनओएस और 4 एमसी शामिल) पर 39वीं एनएसक्यूसी बैठक के चरण-I में विचार विमर्श किया गया था, जिनमें से 60 अर्हताएं/एनओएस/एमसी (जिनमें 8 नई और 11 संशोधित अर्हताएं 40 एनओएस और 1 एमसी शामिल) अनुमोदित की गई थी और 2 अर्हताएं अनुमोदित नहीं की गई थी।

17.3 समिति ने यह भी निर्देश दिया कि 80 अर्हताओं/एनओएस/एमसी में से, जो 39वीं एनएसक्यूसी की बैठक के चरण-I के दौरान प्रस्तुत की गई थी, 18 अर्हताएं/एनओएस/एमसी (जिनमें 11 नई और 3 संशोधित अर्हताएं, 1 एनओएस और 3 एमसी शामिल) 39वीं एनएसक्यूसी की बैठक के चरण-II में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत की जानी थी। तदनुसार, शेष 138 अर्हताओं/एनओएस/एमसी को आगामी एनएसक्यूसी बैठक अर्थात् 39वीं एनएसक्यूसी (चरण-I) में विचार विमर्श के लिए विचार किया जाएगा।

17.4 अनुमोदित स्थिति का विस्तृत ब्यौरा और समिति के निर्णय अनुबंध-II में दिए गए हैं, जिनमें केन्द्रीय मंत्रिमंडलों, राज्य निकायों, क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) और अन्य सरकारी व निजी निकायों से अर्हताएं शामिल हैं।

17.5 प्राप्त अर्हताओं की विस्तृत स्थिति आगामी पैरा में दी गई है।

17.2.1 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) (ऑटोमोटिव) - दो (02) अर्हताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित की गई।

17.2.2 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) (आईटी-आईटीईएस) - एक (01) अर्हता, एक (01) माइक्रो क्रेडेंशियल और तीन (03) एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। माइक्रो क्रेडेंशियल और एनओएस को अनुमोदित किया गया और अर्हताओं को इस शर्त पर अनुमोदित किया गया कि 2 - फाइल में प्रशिक्षक की अर्हता का ब्यौरा अद्यतन किया जाएगा।

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-1) का कार्यवृत्त

17.2.3 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) (पूँजीगत वस्तुएं)- पांच (05) नई एनओएस और सात (07) संशोधित अर्हताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित की गई।

17.2.4 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) (नलसाजी) - एक (01) संशोधित अर्हता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित की गई।

17.2.5 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) (इलैक्ट्रॉनिक) - दो (02) नए एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और अनुमोदित किए गए।

17.2.6 राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) - सत्ताइस (27) नए एनओएस और दो (02) संशोधित अर्हताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित की गई।

17.2.7 आरयूडीएसईटीआई (बीएफएसआई) - दो (02) अर्हताएं (1 संशोधित अर्हता और 1 नई एनओएस) समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। एक (01) संशोधित अर्हता और 01 नई एनओएस अनुमोदित की गई। तथापि, यह निदेश दिया गया था कि यदि कोई मौजूदा अर्हता संशोधित अर्हता “सहायक बुककीपर” के समान आरयूडीएसईटीआई द्वारा प्रस्तुत की गई है तो उसकी जाँच करें।

17.2.8 आरयूडीएसईटीआई (ब्यूटी और वेलनेस) - एक (01) नई अर्हता “जूनियर ब्यूटी प्रैक्टिशनर (लघु उद्यमी)” ब्यूटी और वेलनेस क्षेत्र कौशल परिषद् द्वारा उठाए गए दोहरेपन के पहलुओं के कारण अनुमोदित नहीं की गई थी। समिति ने आरयूडीएसईटीआई को निदेश दिया कि अर्हता में दोहरापन हटाने पर पुनः कार्य किया जाए।

17.2.9 फुटवियर डिजाइन और विकास (एफडीडीआई, नोएडा) - एक (01) नई अर्हता, जो चर्म क्षेत्र से संबंधित है, समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित की गई।

17.2.10 पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास परिषद् (डब्ल्यूबीएससीटीवीईएसडी) - एक (01) नई अर्हता, जो इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से संबंधित है, समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित की गई। एक (01) नई अर्हता “सहायक ब्यूटीशियन” ब्यूटी और वेलनेस क्षेत्र कौशल परिषद् द्वारा उठाए गए दोहरेपन के पहलु के कारण अनुमोदित नहीं की गई थी। समिति ने डब्ल्यूबीएससीटीवीईएसडी को अर्हता में दोहरेपन को हटाने के लिए पुनः कार्य करने का निदेश दिया।

एनएसक्यूसी की दिनांक 25 जुलाई, 2024 की 39वीं बैठक (चरण-I) का कार्यवृत्त

- 17.2.11 ब्यूटी और वेलनेस क्षेत्र कौशल परिषद्** - एक (01) अर्हता और दो (02) एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और अनुमोदित किए गए।
- 17.2.12 चर्म एसएससी** - चार (04) नई और दो (02) संशोधित अर्हता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। तथापि, समिति ने संशोधित अर्हताओं में आयोजित अनेक प्रशिक्षणों पर डेटा प्रस्तुत करने का निदेश दिया और संशोधित अर्हता के एनओएस में परिवर्तन किए गए। नई अर्हताओं के लिए एबी को प्रस्तावित संख्या में प्रशिक्षण प्रस्तुत करने हैं।
- 17.2.13 प्रबंधन और उद्यमशीलता एवं व्यावसायिक कौशल परिषद्** - चार (04) नई अर्हताएं और दो (02) नए माइक्रो क्रेडेंशियल समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। केवल दो अर्हताएं नामतः “डिजिटल बिक्रियाँ और विपणन कार्यकारी” तथा “डिजिटल बिक्रियाँ और विपणन और उन्नत पाठ्यक्रम” अनुमोदित की गई।
- 17.2.14 दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट (पतंजलि)** - एक (01) नई अर्हता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित की गई।

LIST OF PARTICIPANTS**National Skills Qualifications Committee (NSQC) Members**

1. Shri Atul Tiwari, Secretary MSDE/Chairperson (In-charge) NCVET
2. Dr Vinita Aggarwal, Executive Member, NCVET
3. Dr Neena Pahuja, Executive Member, NCVET
4. Dr M Jagadesh Kumar, Chairperson, UGC
5. Dr Biswajit Saha, Director, CBSE
6. Mr. Sanjay Kumar, Director, DGT (Representative from DGT)
7. Ms. Deepti Saxena, NSDC (Representative from NSDC)
8. Ms. Deepti Singh, FICCI

National Council for Vocational Education and Training (NCVET) Official

1	Col. Santosh Kumar, Director	15	Mr. Abhinav Mishra, Consultant, Grade I
2	Col Gunjan Chowdhary, Director	16	Ms. Nidhi Trehan, Consultant, Grade I
3	Dr. Suhas Deshmukh, Director	17	Mr. Parkishit Yadav, Consultant, Grade I
4	Mr. Purnendu Kant, Director	18	Ms. Bulbul Yadav, Consultant, Grade I
5	Mr. Harish Chander, Deputy Director	19	Ms. Ratna Priya Kanchan, Young Professional
6	Mr. Pradeep Thota, Deputy Director	20	Ms. Srishti Jha, Young Professional
7	Mr. Milan Sahu, Deputy Director	21	Ms. Pragya Sharma, Young Professional
8	Mr. Shourya Sangam, Consultant Grade II	22	Mr. Baiju Balan, Young Professional
9	Ms. Sarika Dixit, Consultant Grade II	23	Ms. Madhusmita Mohapatra, Young Professional
10	Mr. Amit Sharma, Consultant Grade II	24	Ms. Sophia Lisam, Young Professional
11	Ms. Ojasvi Goyal, Consultant Grade I	25	Mr. Manish Kumar, Young Professional
12	Ms. Vandana Purohit, Consultant Grade I	26	Mr. Aman Awasthi, Young Professional
13	Ms. Sheetal Bhandari, Consultant Grade I	27	Mr. Subramanian Rajendran, Young Professional

14	Mr. Amresh Kumar, Consultant, Grade I	28	Ms. Rashi Vaidya, Young Professional
----	---------------------------------------	----	--------------------------------------

Representatives from Sectoral Stakeholders

1	Dr. Megha Aggarwal, AGM, Healthcare Sector Skill Council	71	Lt Col Shivendra Singh, AEC Army
2	Mr. Abhishek Singh, ED SCVT UP	72	Ms. Jassi Dimple, VP, MSU
3	Col Shakeel, NIOS	73	Mr. Pankaj Bajaj, Manager, Telecom Sector Skill Council
4	Mr. Saket Saurabh, Deputy Director (Academics), NIELIT	74	Lt Col Shivendra Singh, AEC Army
5	Mr. S.K. Bose, CEO, Hydrocarbon sector skill council	75	Shri Srikant Pampana, Standard Head & Education Initiatives, ASCI
6	Col Anil Pokhriyal, CEO MEPSC	76	Ms. Shikha Singh, Sr, Executive- Standards, Sector FICSI
7	Dr. Satendra Arya, CEO, Agriculture Skill Council of India	77	Mr. Abhishek Mishra, CSDCI
8	Mr. Krishan Kumar, CEO, Handicrafts and Carpet Sector Skill Council	78	Ms. Namrata Kapoor, Standard Head, SSC NASSCOM
9	Ms. Shalini Singh, CEO, CGSSC	79	Dr. Vedpriya Arya, Patanjali
10	Mr. Sunil K Marwah, CEO, FICSI	80	Mr. Akash Srivastava Head - Standard, IIS SSC
11	Ms. Jancy Mathew, Officiating CEO & COO, CSDCI	81	Dr. Megha, HSSC
12	Ms. Abhilasha Gaur, CEO, ESSCI	82	Mrs. Shivi Chaudhary, Standard Head & Education Initiatives, LSSSDC
13	Col Anand Kumar Singh, CEO, SSDF	83	Dr. Sushree Sila, IIT Guwahati
14	Mr. Abdul Majeed, CEO, ESSC	84	Mr. Sanjay Kumar, ED Leather SSC
15	Mr. SK Bose, CEO - HSSC	85	Ms. Preetika-Executive Standards, THSC
16	Mr. Sushim Banerjee, CEO, IIS SSC	86	Mr. Aditya Narayan Singh, NIC
17	Mr. Neeraj Kumar Gupta, CEO-IASC	87	Dr. Prakash Patel, Ganpat University
18	Mr. Pankaj Kumar Sinha, Secretary, FDDI	88	Mr. Ashish Jain, HCSSC
19	Dr. James T G, Head, Skill Delivery Certifier Verticals, ASAP	89	Mr. Bishwajeet Singh, PSSC
20	Dr. Niharika Nigam, SCPwD	90	Mr. Aakash Kumar, NASSCOM
21	Mr. Rajeev Garg, GJSCI	91	Mr. Apoorv, SCMS
22	Mr. Anshu Verma, HCSSC	92	Ms. Vinay Khatod, IACE
23		93	Mr. Vijay Bankar, DGM, MSME TC Bhopal
24	Ms. Priyanka Pandey, HMCSSC	94	Ms. Shanthi, HCL
25	Mr. Rahul Mahadeshwar, ASDC	95	Dr. Swapna Mishra, Textile SSC
26	Mr. Rahul Antony, ONDC	96	Dr. Sunita Badhwar, MEPSC
27	Mr. Ekansh Raj, ESSC	97	Mr. Aditya Verma, NASSCOM

28	Mr. Ashish Trivedi, CII	98	Mr. Krishnan Koliyot, Associate Director, Skill Delivery Certifier Vertical, ASAP
29	Mr. Arushi, NFDC	99	Mr. Ravikanth Yamarthy, ISC
30	Mr. Arindam Lahiri, ASDC	100	Mr. Balaji B, TNSDC
31	Mr. Arbaz, MESC	101	Ms. Ambica, B&WSSC
32	Ms. Reena, LSC	102	Mr. Amit Singh, AMHSSC
33	Ms. Sadha, Leather SSC	103	Ms. Monica Bahl, B&WSSC
34	Ms Priya, SSC, NASSCOM	104	Ms. Priya Sharma, MSU
35	Ms. Priya, Sports SSC	105	Mr. Ravindra Singh, SCPwD
36	Mr. Rajiv Merugumolu, NTTF	106	Dr Vishaka, RCPSCD
37	Ms. Ericka, Google	107	Dr Rajan KM, CTTC Bhubaneswar
38	Mr. Ashish Sharma, ESSCI	108	Mr. Pramod Idiculla, NASSCOM
39	Mr. Sharad, FDDI	109	Mr. Rajan, NASSCOM
40	Mr. Varun Tandon, WMPSC	110	Mr. Gaurav Tripathi CGSSC
41	Mr. Soumya Rajan, COO, BFSI	111	Mr. Goutam Bhattacharya LSSSDC
42	Mr. Pranab Kumar Chowdhury, MSME Technology Centre	112	Mr. Sameer, RASCI
43	Mr. Vigneshraja - Textile SSC	113	Mr. Karan Singh, nasscom
44	Mr. Kichu K Nair, Programme Manager, Skill Delivery Certifiers Verticals, ASAP	114	Mr. Hakim Mamka, PCSC
45	Dr. Swapna Mishra, Textile SSC	115	Mr. L RAJA SEKHAR GM CTTC Bhubaneswar
46	MSME DFO, Karnal	116	Ms. Mahima HCSSC
47	Manshi Tyagi LSSSDC	117	Mr. Mayank, IASC
48	Ms. Amruta, RASCI	118	Mr. Umesh Choudhary, Mewar University
49	Ms. Gitanjali, HCSSC	119	Mr. Snehasish, CD Section DGT
50	Ms. Meenakshi Sharma, THSC	120	Mr. Deepak, FDDI
51	Mr. S Ramachandran, NTTF	121	Mr. Rajan Bahadur
52	Ms. Neha Dave, BFSI SSC	122	Ms. Gargi, SSDF
53	Mr. Ishant, NIELIT	123	Mr. Himanshu Singh, WMPSC
54	Ms. Partha- CUTM	124	Mr. Ranvijay, DMRA
55	Mr. Chandra Mohan, SSC NASSCOM	125	Mr. Vipin, NTTF
56	Mr. Himanshu, HCSSC	126	Mr. Pankaj Bajaj, Manager, Telecom Sector Skill Council
57	Mr. Mohasin Tahasildar, MSU	127	Ms. Partha, CUTM
58	Mr. Nitendra Singh , CII	128	Mr. Praveen Sirohi, TSSC
59	Prof. K.P. Patel, Ganpat University	129	Mr. Sreejeesh, NIELIT
60	Mr. Pushpender Kumar, NFDC	130	Mr. Shankar, NTTF
61	Mr. Rajat Singh, ESSCI	131	Ms. Shweta Singh, ASDC
62	Mr. Rajib, CUTM	132	Mr. Aamir, KARAM SAFETY
63	Mr. Rajesh, NIELIT	133	Mr. Gopal Mohanty, MSU
64	Mr. Ripunjay Singh, NIELIT	134	HARTRON
65	Mr. Ankur, FICSI	135	CSTARI Kolkata
66	Mr. Santosh Saha, MEPSC	136	RUDSETI

67	Ms. Shefali, GJSCI	137	SCTE&VT ODISHA
68	Ms. Sonam Yadav, TSSC	138	GCVT
69	Mr. Tahsin Zahid, Sport SSC		
70	Ms. Anjali S Nair, Programme Manager, Skill Delivery Certifiers verticals, ASAP		



**QUALIFICATIONS FROM CENTRAL MINISTRIES/STATE BODIES/SSCS/OTHER GOVT & PVT BODIES
APPROVED IN THE 39TH NSQC MEETING**

Sl. No.	SECTOR	QUALIFICATION NAME	NEW/ REVISED	NSQF LEVEL	APPROVAL STATUS	FUTURE SKILL
Directorate General of Training (DGT) (Automotive)						
1	Automotive	Mechanic Electric Vehicle	Revised	4	Approved	No
2	Automotive	Industrial Automotive Manufacturing Technician	New	4	Approved	No
Directorate General of Training (DGT) (IT-ITeS)						
3	IT-ITeS	Industrial Internet of Things (IIoT) Technician	New	3.5	Conditionally Approved (subject to updation of Trainer Qualification)	Yes
Directorate General of Training (DGT) (Capital Goods)						
4	Capital Goods	Manufacturing Process Control and Automation Technician	Revised	3.5	Approved	No
5	Capital Goods	Technician – Additive Manufacturing (3D Printing) Technician	Revised	3.5	Approved	Yes
6	Capital Goods	CNC Machining Technician	Revised	3.5	Approved	No
7	Capital Goods	Aeronautical Structure and Equipment Fitter	Revised	3.5	Approved	No

8	Capital Goods	Engineering Design Technician	Revised	3.5	Approved	No
9	Capital Goods	Virtual Analysis and Designer - FEM (Finite Element Method)	Revised	3.5	Approved	No
10	Capital Goods	Industrial Robotics & Digital Manufacturing Technician	Revised	3.5	Approved	Yes
Directorate General of Training (DGT) (Plumbing)						
1	Plumbing	Plumber	Revised	2.5	Approved	No
National Institute of Electronic and Information Technology (NIELIT)						
1	Electronics	Assistant Computer Technician	Revised	3	Approved	No
2	Electronics	Printed Circuit Board Technician	Revised	4	Approved	No
RUDSETI						
1	Beauty and Wellness	Junior Beauty Practitioner (Laghu Udyami)	New	2.5	Not approved (Duplicity)	No
2	BFSI	Assistant Bookkeeper	Revised	3	To be discussed in the subsequent NSQC meeting*	No
Footwear Design and Development (FDDI, Noida)						
1	Leather	Footwear Design and Manufacturing (Leather) - Senior Technician	New	4.5	Approved	No

West Bengal State Council of Technical & Vocational Education and Skill Development						
1	Beauty and Wellness	Assistant Beautician	New	3	Not approved (Duplicity)	No
2	Electronics	Service Assistant (Domestic Electronics Products)	New	3	Approved	No
3	Capital Goods	Welder (Manual Metal Arc Welding and Gas Cutting)	New	3	To be discussed in the subsequent NSQC meeting*	No
Beauty and Wellness Sector Skill Council						
1	Beauty and Wellness	Assistant Tattoo Artist	New	3	Approved	No
Leather SSC						
1	Leather	Footwear and Components Testing Technician	New	4	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
2	Leather	Assembly and Stitching – Assistant Supervisor (Gloves)	New	4.5	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
3	Leather	Knitting Machine Operator – Footwear	New	3	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
4	Leather	Footwear Sole Production Operator	New	3	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
5	Leather	Quality Control Inspector – Goods & Garments	Revised	4.5	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No

6	Leather	Parts Making Helper (Goods & Garments)	Revised	2	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
Management and Entrepreneurship & Professional Skill Council						
1	Management	Client Engagement Associate	New	3	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
2	Management	Documentation Executive (Import-Export)	New	4.5	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
3	Management	Digital Sales and Marketing Executive	New	4.5	Approved	No
4	Management	Advance Course on Digital Sales and Marketing	New	5	Approved	No
Retail Association's Skill Council of India						
1	Retail	Retail Associate cum Cashier	New	3	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
2	Retail	Retail Order Fulfilment Assistant	New	3	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
3	Retail	Retail Sales Executive cum Cashier	New	4	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
4	Retail	Retail Merchandise Manager	New	5.5	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	Yes

Divya Yog Mandir Trust (Patanjali)						
1.	Agriculture	Soil Testing Junior Technician	New	2.5	Approved	No
LIST OF NATIONAL OCCUPATIONAL STANDARDS (NOSs) APPROVED IN THE 39TH NSQC MEETING						
Directorate General of Training (DGT)						
1	Electronics	Fundamentals of IoT Applications and Maintenance	New	3.5	Approved	Yes
2	Electronics	Fundamentals of Semiconductor Technology	New	3.5	Approved	Yes
1	IT-ITeS	Basics of Cybersecurity	New	3.5	Approved	Yes
2	IT-ITeS	Basics of Generative Artificial Intelligence (AI)	New	3.5	Approved	Yes
3	IT-ITeS	Basics of IT Skills	New	3.5	Approved	No
4	Capital Goods	Fundamentals of Computer Aided Manufacturing (CAM)	New	3.5	Approved	Yes
5	Capital Goods	Fundamentals of CNC Programming and Operation	New	3.5	Approved	No
6	Capital Goods	Fundamentals of Heating Ventilation and Air Conditioning	New	3.5	Approved	No
7	Capital Goods	Introduction to Industry 4.0	New	3.5	Approved	Yes
8	Capital Goods	Basics of Repair and Maintenance of Metal Cutting Machines	New	3.5	Approved	No

National Institute of Electronic and Information Technology (NIELIT)						
1	Electronics	Fundamentals of Embedded C programming	New	4	Approved	Yes
2	Electronics	Fundamentals of Microcontroller architecture (ARM), programming and interfacing	New	4	Approved	Yes
3	Electronics	Fundamentals of sensing and actuation in embedded systems	New	4	Approved	Yes
4	Electronics	Basics of Embedded Linux Internals	New	4	Approved	Yes
5	Electronics	Essentials of Real Time Operating Systems for Embedded Application	New	5	Approved	Yes
6	Electronics	Basics of Embedded Communication Protocols	New	5	Approved	Yes
7	Electronics	Fundamentals of Wireless Sensor networks	New	5	Approved	Yes
8	Electronics	Fundamentals of Linux Device Driver Development	New	5	Approved	Yes
9	Electronics	Essentials of IoT Application Development	New	5	Approved	Yes
10	Electronics	Essentials of Scripting language for embedded applications	New	5	Approved	Yes
11	Electronics	Fundamentals of Embedded Product Design	New	5	Approved	Yes



12	Electronics	Essentials of AI for Embedded Application	New	5	Approved	Yes
13	Electronics	Essentials of Embedded System for Automotive Electronics	New	5	Approved	Yes
14	Electronics	Essentials of Embedded System for Medical Electronics	New	5	Approved	Yes
15	Electronics	Essentials of Embedded Security	New	5	Approved	Yes
16	Electronics	Fundamentals of VLSI Design	New	4	Approved	Yes
17	Electronics	Essentials of RTL Coding for Synthesis	New	4	Approved	Yes
18	Electronics	Essentials of VLSI circuits timing analysis	New	4	Approved	Yes
19	Electronics	Fundamentals of FPGA Architecture and programming	New	4	Approved	Yes
20	Electronics	Fundamentals of VLSI Verification	New	5	Approved	Yes
21	Electronics	Essentials of System Verilog and UVM based Verification	New	5	Approved	Yes
22	Electronics	Fundamentals of Design for testability for VLSI Circuits	New	5	Approved	Yes
23	Electronics	Fundamentals of VLSI Physical Design and Verification	New	5	Approved	Yes

24	Electronics	Fundamentals of Analog VLSI Design	New	5	Approved	Yes
25	Electronics	Essentials of High-level synthesis programming and Accelerator design	New	5	Approved	Yes
26	Electronics	Essentials of Python for RTL Verification	New	5	Approved	Yes
27	Electronics	Essentials of SoC Design for Verification	New	5	Approved	Yes
RUDSETI						
1	BFSI	Bank Mitra	New	3	Approved	No
MSME						
1	IT-ITeS	Fundamentals of SAP Business One	New	5.5	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	Yes
Beauty and Wellness Sector Skill Council						
1	Beauty and wellness	Basics of Saree Draping	New	2	Approved	No
2	Beauty and wellness	Basics of Personal Hygiene	New	2	Approved	No
LIST OF MICRO CREDENTIALS (MCs) APPROVED IN THE 39TH NSQC MEETING						
Directorate General of Training (DGT)						
1	IT-ITeS	Introduction to Artificial Intelligence (AI)	New	3.5	Approved	Yes

Management and Entrepreneurship & Professional Skill Council						
1	Management	Basics of Financial Literacy	New	2	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
2	Management	Fundamentals of Digital Literacy (Office Applications)	New	2.5	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	No
Retail Association's Skill Council of India						
1	Retail	Basics of Artificial Intelligence (AI) for Retail	New	4	To be discussed in the subsequent NSQC meeting *	Yes

*These qualifications/NOSs/MCs were discussed, however, the committee has sought clarification and/or suggested modifications regarding the same. The ABs concerned shall undertake the same for discussing these in the next round of discussion of the Committee (39th NSQC Phase II).

